प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक- 02 जनवरी, 2017**

विषय-जिला कारागार, गौतमबुदनगर, बहराइच एवं केन्द्रीय कारागार, आगरा के लिए एक-एक ट्रैक्टर तथा कृषि उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-36324/कृषि-2/115/2010,दिनांक-07.10.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, गौतमबुदनगर, बहराइच एवं केन्द्रीय कारागार, आगरा के लिए एक-एक ट्रैक्टर तथा कृषि उपकरणों, जिनका विवरण निम्न तालिका में उल्लिखित है, को क्रय किये जाने हेतु कुल रू0 24,37,456/- (रूपया चौबीस लाख सैंतीस हजार चार सौ छप्पन मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

क्र0	कारागारों के नाम	क्रय किये जाने वाले ट्रैक्टर तथा कृषि उपकरणों के नाम	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	जिला कारागार गौतबुदनगर	01 मैसी फारगूसन माडल 5245 ट्रैक्टर,दो पहिया ट्रैक्टर की ट्राली, कूड़ागाड़ी, कल्टीवेटर स्प्रिंगलोडेड, लेबलर, आलू बुवाई मशीन, रोटावेटर एवं पावर चालित चैबकटर	रू0-11,39,313/-
2	केन्द्रीय कारागार आगरा	01 मैसी फारगूसन माडल 35 हार्सपावर ट्रैक्टर, हैरो हुड, ड्राकर, फ्रन्ट, बम्पर, जैक एवं ट्राली हुक	रू0-6,22,500/-
3	जिला कारागार बहराइच	01 स्वराज ट्रैक्टर 735 एफ0 ई0 ट्रैक्टर, दो पहिया ट्रैक्टर की ट्राली, एसेसरीज एवं कल्टीवेटर	रू0-6,75,643/-
		योग-	रू0-24,37,456/-

(1) ट्रैक्टर/उपकरणों का क्रय, भण्डार क्रय नियमों एवं संगत नियमों/शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जायेगा और यह सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(4) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसी पर व्यय की जायेगी। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे यथासमय समर्पित कर दी जायेगी।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक- "2056-जेलें-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र" मद में नई मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-03 /2017/1428(1)/22-4-2016-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।

(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।